Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVIII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

मुस्लिम विवाह और विधि–एक विश्लेषण

डॉ. ज़ाकिर खान*

* प्राचार्य, सांदीपनि विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – मुस्लिम विवाह (निकाह) एक अनुबंध है जो धार्मिक, सामाजिक, और कानूनी महत्व रखता है। इसे इस्लामी कानून के तहत अनिवार्य बताया गया है, जिसका उद्देश्य केवल पति–पत्नी के बीच संबंध स्थापित करना नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, और धर्म के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना है। विवाह एक संस्था हैं। 'यह संस्था मानव सभ्यता का आधार हैं।' कुरान में लिखा हैं, कि 'हमने पुरूषो को स्त्रीयों पर हाकिम (अधिकारी) बनाकर भेजा हैं।' दूसरो शब्दो में मुस्लिम विधि में पत्नी की अधिनता स्वीकार की गई हैं। निकाह (विवाह) का शाब्दिक अर्थ हैं– स्त्री और पुरूष यौन–संयोग और विधि में इसका अर्थ हैं–'विवाह' बेली के सार–संग्रह में विवाह की परिभाषा स्त्री पुरूष के समागम को वैध बनाने और संतान उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिये की गई संविदा के रूप में की गई हैं।

मुस्लिम विवाह के नियम निम्नलिखित स्रोतों पर आधारित हैं:

1. कुरान–यह इस्लामी कानून का प्राथमिक स्रोत है।
2. हदीस– पैगंबर मोहम्मद के कथन और क्रियाओं का संकलन।
3. इज्मा और क्यास–इस्लामी विद्वानों द्वारा सामूहिक निर्णय और तार्किक व्याख्या ।
4. मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक से जुड़े कानून तहत आते हैं। मुस्लिम विवाह और नियम, 1937 के तहत आते हैं।

1. मुस्लिम विवाह की परिभाषा – मुस्लिम विवाह एक सिविल अनुबंध है, जो दो व्यक्तियों (पुरुष और महिला) को वैध रूप से पति–पत्नी के रूप में एक साथ रहने की अनुमति देता है। हेदाया के अनुसार–'विवाह एक विधिक प्रक्रिया हैं, जिसके द्वारा स्त्री और पुरूष के बीच समागम और बच्चो की उत्पत्ति तथा औरसीकरण पूर्णतय: वैध और मान्य होते हैं'। असहाबा का कथन हैं कि 'विवाह स्त्री और पुरूष की और से पारस्परिक अनुमति पर आधारित स्थाई संबंध में अंतर निहित संविदा हैं'।

डॉ. मोहम्मद उल्लाह एस जंग कहते हैं कि 'विवाह सारत: एक संविदा होते हुये भी एक श्रद्धात्मक कार्य हैं, जिनके उद्देश्य हैं–उपभोग और संतानोत्पति के अधिकार और समाज के हित में सामाजिक जीवन का नियमन'।

अब्दुल रहीम के अनुसार 'विवाह की प्रथा में इबादत, मुआमलात दोनो गुण पाये जाते हैं, अर्थात् मुस्लिम रिवाजो के अनुसार विवाह सारत: एक व्यवहारिक संविदा होते हुये भी श्रद्धात्मक कार्य हैं।'

विशेषताएं:

सामाजिक अनुबंध– यह एक कानूनी अनुबंध है, जिसमें सहमति अनिवार्य है। पक्षकार विवाह से पहले और बाद में अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

धार्मिक महत्व– विवाह को सुन्नत कहा गया है, जिसे पैगंबर मोहम्मद द्वारा अनुशंसित किया है। इसे नैतिकता, शांति और मानवता के विस्तार के लिए आवश्यक माना गया है।

धार्मिक और कानूनी अधिकार– पति और पत्नी दोनों को विवाह के दौरान और उसके बाद विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं।

मुस्लिम विवाह के प्रकार

सही विवाह –सभी कानूनी शर्तों का पालन करते हुए किया गया विवाह इसमें पति–पत्नी के कानूनी अधिकार और कर्तव्य पूरी तरह लागू होते हैं।

अवैध विवाह –निषिद्ध रिश्तों में किया गया विवाह ऐसा विवाह अवैध होता है और इसके कानूनी परिणाम नहीं होते।

अविरुद्ध विवाह – जब कुछ शर्तों का उल्लंघन होता है (जैसे गवाह की अनुपस्थिति) इसे बाद में नियमित किया जा सकता है।

4. विवाह का उद्देश्य – 'तिरमिजी' विवाह के पाँच उद्देश्यो का उल्लेख करता हैं–

1. कामवासना का नियमन।
2. गृहस्थ जीवन का नियमन।
3. वंश की वृद्धि।
4. पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम,
5. सदाचारी बच्चो का पालन।

'हेदया' के अनुसार विवाह के उद्देश्य:

1. **समागम**
2. **संगति**
3. **समान हितेच्छा**

पैगम्बर ने कहा–पुरूष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा, सम्पत्ति या उनके सौन्दर्य के लिये करते हैं, परन्तु उन्हें विवाह केवल धर्मनिष्ठा के लिये करना चाहिये। (तिरमीजी)

5. विवाह की वैधता के लिए आवश्यक शर्तें

सक्षम पक्षकार – पुरुष और महिला दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ और बालिग (वयस्क) होने चाहिए। बालिग होने की उम्र आमतौर पर 15 वर्ष मानी जाती है।

प्रस्ताव और स्वीकृति – विवाह के लिए पुरुष और महिला के बीच एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव (इजाब) और दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति (कबूल) आवश्यक

है। यह क्रियाएं एक बैठक में होनी चाहिए।

गवाह – सुन्नी विधि के अंतर्गत प्रस्ताव और स्वीकृति दो ऐसे पुरूष या एक पुरूष और दो स्त्री साक्षीयों की उपस्थिति में होना जरूरी हैं। जो स्वस्थचित्त और व्यस्क मुसलमान हो। साक्षीयो की अनुपस्थिति को विवाह को शून्य नही बल्कि अनियमित बना देती हैं।

शिया विधि के अतंर्गत विवाह के समय नही बल्कि विवाह–विच्छेद की घोषणा के समय साक्षी आवयक होते हैं। अत: शिया विधि के अंतर्गत साक्षीयों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह पूर्णत: वैध विवाह माना जाता हैं।

स्वतंत्र सहमति– किसी विवाह के पक्षकारो का अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से विवाह करना जरूरी हैं। उनकी सहमति का भय, अनुचित दबाव या कपट से मुक्त होना जरूरी हैं। ऐसे बालक अथवा बालिका के मामले में जिसमें व्यस्कता न प्राप्त की हो, विवाह वैध न होगा। जब तक कि विधिक संरक्षक ने उसके लिये अनुमति न दे दी हो। यदि विवाह के पक्षकार स्वस्थचित्त और व्यस्क हैं तो ऐसी दशा में स्वयं उनके द्वारा सहमति का दिया जाना जरूरी हैं।

मैहर – पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली वित्तीय संपत्ति। यह तुरंत (प्रॉम्प्ट महर) या बाद में (डेफर्ड महर) दिया जा सकता है।

निषिद्ध संबंध – रक्त संबंध माता, बहन, बेटी। दूध संबंध रजाई रिश्ते (दूध पीने से बनने वाले रिश्ते)। विवाह संबंध सौतेली माँ, बहू।

6. मुस्लिम विवाह के कानूनी प्रभाव – पति–पत्नी के अधिकार और कर्तव्य पत्नी को भरण–पोषण का अधिकार है। पति–पत्नी के बीच निष्ठ योग आवश्यक है।

संतान के अधिकार– विवाह से जन्मी संतान वैध मानी जाती है। उन्हें संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है।

तलाक – तलाक तीन प्रकार के होते हैं। तलाक–ए–अहसन शांतिपूर्ण प्रक्रिया तलाक–ए–हसन तीन बार घोषणा। तलाक–ए–बिद्दत एक बार में तीन बार तलाक (जिसे अब अवैध घोषित किया गया है)।

7. मुस्लिम विवाह से संबंधित प्रमुख मामले :

1. शाह बानो केस (1985) सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण–पोषण का अधिकार दिया हैं। इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिये एक नई बहस शुरू हुई हैं।
2. शमीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी (2002) तलाक को वैध मानने के लिए पति को उचित कारण और प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य बताया गया।
3. सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) मुस्लिम धर्म स्वीकार कर दूसरी शादी करने के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने इसे धोखा करार दिया।
4. दानियाल लतीफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2001) शाह बानो मामले से संबंधित इस मामले ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारो की पुनरू पुष्टि की।
5. विभिन्न विद्वानों के विचार डॉ. असगर अली इंजीनियर कुरान में पुरुष और महिला के समान अधिकार हैं।उन्होंने महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने की वकालत की। प्रो. आफ़ज़ल काज़ी विवाह को एक कानूनी अनुबंध मानते हुए उन्होंने इसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. फिरोज अहमद: मुस्लिम विवाह को परिवार और समाज की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया।

8. मुस्लिम विवाह में सुधार की आवश्यकता चुनौतियां:

1. बहुविवाह का दुरुपयोग।
2. तलाक प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी।
3. महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा ।

सुझाव:

1. तलाक–ए–बिद्दत पर रोक लगाना ।
2. महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना।
3. विवाह और तलाक की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना।

निष्कर्ष– मुस्लिम विवाह एक पवित्र अनुबंध है जो धार्मिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। हालांकि, बदलते समय के साथ इसमें सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समाज में समानता सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम विवाह कानून को संवेदनशील और न्यायसंगत बनाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. कुरान और हदीस
2. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937
3. शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान (AIR 1985 SC 945)
4. शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002)
5. डॉ. असगर अली इंजीनियर, इस्लाम और जेंडर जस्टिस
6. प्रो. आफ़ज़ल काज़ी, मुस्लिम विवाह कानून का विश्लेषण
7. अकील अहमद मुस्लिम विधि

****